

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क्र० 667 / 15
संस्थापन दिनांक: 19 / 10 / 15
फाईलिंग नं. 233504001442015

मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा आबकारी वृत्त
थाना-आमला जिला- बैतूलअभियोजन

विरुद्ध.

कांतीबाई पति किशोरी सरिया, उम्र 34 वर्ष
निवासी-लालावाड़ी, थाना आमला,
जिला बैतूल अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक 06/08/2016 को घोषित।)

- 1- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि उसने घटना दिनांक 26.08.2015 को समय करीब 01:50 बजे स्थान ग्राम लालावाड़ी थाना आमला स्थित अपने रिहायशी मकान में एक कुप्पी में 5 लीटर हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब रखे हुये पाये गये।
- 2- प्रकरण मे यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त द्वारा धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के तहत अपराध विवरण की विशिष्टियाँ विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया पूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया है।
- 3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है आबकारी उप निरीक्षक आमला ने दिनांक 26.08.2015 को सूचना के आधार पर बिना तलाशी वारंट के अभियुक्त के रिहायशी मकान से गवाहों के समक्ष एक कुप्पी में 5 लीटर शराब जप्त किया जिसकी जांच करने पर अवैध हाथ भट्टी की शराब होना पाया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 183/15 धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
- 4- अभियुक्त को धारा 34(1)क आबकारी अधि० के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त का सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया गया।

5— प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं :—

क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.08.2015 को समय करीब 01:50 बजे स्थान ग्राम लालावाड़ी थाना आमला स्थित अपने रिहायशी मकान में एक कुप्पी में 5 लीटर हाथ भट्ठी महुआ की कच्ची शराब रखी ?

: : विचारणीय प्रश्न का निराकरण : :

6— अभियुक्त द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया गया, साथ ही अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार किया गया। अभियोजन की ओर से कोई तात्त्विक त्रुटि विद्यमान नहीं है। अतः अभियुक्त को अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुये 500/— रु0 (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा दी जाती है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में पृथक से 15 दिन का सादा कारावास भुगताया जाये।

7— प्रकरण में जप्तशुदा शराब नष्ट हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व, मेरे निर्देशन पर टंकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया। मुद्रित किया गया।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

